राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच संख्या 1, भीनमाल।

(न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीनमाल के मामलों से संबंधित)

समक्ष

श्री मनीष कुमार वैष्णव, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अध्यक्ष
श्री दिनेश कुमार खंडेलवाल, सदस्य

दीवानी विविध एमएसीटी प्रकरण सख्या 2/2018

अनवानः—मु. पंखुदेवी बनाम रमेशगर वगैरह

<u>पंचाट</u>

08.02.2020

उपरोक्त प्रकरण में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की प्रेरणा से राजीनामा होना जाहिर कर राजीनामा पेश किया जो दिनांक 05.02.2020 को तस्दीक किया जा चुका है। प्रकरण की पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। राजीनामा के अनुसार प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 3 युनाईटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से पूर्ण क्लेम के बदले 5,40,000/— अक्षरे पांच लाख चालिस हजार रूपये में राजीनामा कर लिया है। जिसमें नो फाल्ट के तहत दिलाई जाने वाली राशि भी शामिल है। प्रार्थी अपना शेष क्लेम अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध तर्क करता है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करेंगे।

प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध 5,40,000/— अक्षरे पांच लाख चालिस हजार रूपये का अवार्ड पारित किया जाता है। अप्रार्थी पक्ष अवार्ड राशि आज से 30 दिन के भीतर जरिये डी.डी/चैक अधिकरण के नाम से बनवाकर इस अधिकरण में एक माह की अवधि में जमा करवायेगा। राशि जमा होने पर वितरण आदेश पृथक से दिया जायेगा। प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में फैसल शुमार होकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य अध्यक्ष